Subject

महेन्द्र V/s आशा मु.नं. 02/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/1/22	पत्रावली पेश हुई। वकुलान उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 का जवाब पेश करने के स्थान पर सीधी बहस करनी चाही। प्रार्थी की ओर से वकील मो0 रशीद ने वकालतनामा पेश कर बहस करने की अनुमति चाही। दोनो पक्षों की बहस श्रवण की गई। वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि आदेश 6 नियम 15 सीपीसी में अभिवचनों का सत्यापन का प्रावधान है जिसके अनुसार बिना प्रमाणन के किसी भी दस्तावेज को शपथ पत्र नहीं माना जा सकता। प्रा0 पत्र के साथ सलंग्न शपथ पत्र किसी द्वारा प्रमाणित नहीं है, ना ही तस्दीक करने वाले व गवाह का नाम पता इत्यादि का उल्लेख है। जबकि शपथ पत्र आदेश 6 नियम 15 के तहत प्रमाणित होना चाहिए एवं तस्दीक करने वाले एवं गवाह का नाम व पते का अंकन होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा आदेश 39 नियम 3 की पूर्ण पालना नहीं की गई है। जबकि आदेश 39 नियम 3(क) व (ख) स्पष्ट है जिसके अनुसार आदेश 39 नियम 3 की पालना हेतु आदेश की दिवस या अगले दिवस शपथ पत्र पेश करना होता है जो कि नहीं किया गया। राजस्व कोर्ट मैन्यूअल 1956 के अध्याय 8 के नियम 70–74 में हल्फनामा व शपथ पत्र के बारे में विस्तृत वर्णन है जिसकी पूर्ति नहीं है। अतः उक्त तमाम तथ्यों के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से खारीज योग्य है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि आदेश 39 नियम 3 की पालना आदेश जारी होने के अगले दिवस जरिये रजिस्टर्ड एडी से कर दी गई थी। जब आदेश 39 नियम 3 की पालना हो चुकी हो तो आदेश 39 नियम 4 का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे। साथ ही अप्रार्थी द्वारा स्थगन आदेश के दौरान निर्माण कार्य किया गया है। अतः उनके विरूद्व कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का प्रकरण दर्ज होना चाहिए। दोनो पक्षों की बहस पर मनन किया गया। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी के कथनानुसार पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी के कथन एवं पत्रावली के अवलोकन से वकील अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 04.01.2022 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible]सीसर